भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतू आवेदन सह स्वीकृति पत्र

प्ररूप 5 (नियम44 (2) देखिये)

आवेदक का रंगीन फोटो

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....मोबाईल नं0–.....
3. (एक) वर्तमान पता (i) .....

(ii) मोहल्ला/गावं .....

(iii) ग्राम पंचायत/वार्ड सं0 (शहरी क्षेत्र) .....

(iv)ब्लॉक/शहर : .....

(दो) स्थाई पता .....

4. श्रेणीः अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./अल्प संख्यक/सामान्य ..... जो लागू न हो उसे काट दें
5. आयु (वर्षो मे) .....6. जन्म तिथि ...../...../..... 7. शेक्षणिक योग्यता .....
8. वैवाहिक स्थितिः विवाहित/अविवाहित/विधुर/विधवा/ (जो लागू न हो उसे काट दें)
9. परिवार का विवरण :– 10. अन्य विवरण यदि कोई हो तो

क्र0 स0	परिवार के सदस्यों का नाम	आवेदक से संबंध	आयु	शिक्षा	बैंक खाता बैंक का नाम											
1					आधार कार्ड											
2					भामाशाह											
3					ई.एस.आई/ई.पी. एफ.संख्या											
4																
5					बी.पी.एल./स्टेट बी.पी.एल कार्ड											
6																

11. वर्तमान नियोजकों सहित उन नियोजकों के नाम तथा पते जिनके लिए पिछले 2 माह में कार्य किया

क्र0सं0	कार्यस्थल का विवरण	क्या काम किया	कितने दिन काम किया (कार्य अवधि)	नियोजका का नाम पता	वर्तमान नियोजक के हस्ताक्षर व मोबाईल नम्बर
1					

धोषणा

12. मैं सत्यनिठा/ईश्वर की शपथ लेकर कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही है। सही नही पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गयी राशि मण्डल को वापिस करने का वचन देता हूँ। यह भी धोणा करता हूँ कि मैंने पूर्व में अन्य किसी जिले या स्थान पर हिताधिकारी के रूप में पंजीयन नही कराया है।

दिनांक ...../...../..... आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

13. प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्र/पुत्री/पति .....
निवासी ..... निर्माण श्रमिक के रूप में नियोजक/व्यक्ति (नाम व पता) .....
..... के निर्माण कार्य पर पिछले एक वर्ष की अवधि में ..... दिन तक कार्य करता रहा/रही है।तथा वह निर्माण श्रमिक है।

नियोजक/ठेकेदार के हस्ताक्षर तथा नाम पता टेलिफोन नं0

निर्माण श्रमिकों की यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर व यूनियन का नाम व पता व पंजीयन सं0

पंचायत के कार्यकारी अधिकारी/क्षेत्र के श्रम निरिक्षक के हस्ताक्षर नाम व पता

पंजीयन आदेश

अधोहस्ताक्षर द्वारा आवेदन के पत्र में वर्णित जानकारी के जॉच उपरान्त संतुष्ट होने पर पंजीयन की स्वीकृति दी जाती है।

दिनांक ...../...../.....

हस्ताक्षर श्रम निरिक्षक एवं प्राधिकृत अधिकारी

नाम निरिक्षक/प्राधिकृत अधिकारी

(नियम 44(4)के अन्तर्गत नाम निर्देशन) (प्ररूप–छः)

में अपनी मृत्यु की दशा में मण्डल की ओर से मुझे देय समस्त बकाया राशि प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तिगत अधिकारवान वारिस के रूप में नाम निर्देशित करता/करती हूॅः–

क्रम संख्या	नामिति/नामितियों का नाम व पता	हिताधिकारी से संबंध	आयु	नामिति को दी जाने वाली राशि का प्रतीशत

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का

निशान

<u>आवेदन पत्र भरने में संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश</u>

1. आवेदक के कॉलम एक व दो में क्रम से आवेदक तथा उसके पिता/पति का पुरा नाम अंकित किया जाना है।
2. कॉलम तीन(एक) में आवेदन का वह पता अंकित किया जाना हे जिस पर वह वर्तमान में निवास कर रहा हे पता पूर्ण लिखा जावे इसी प्रकार कॉलम तीन (दो) में आवेदक के स्थाई निवास का पूर्ण पता अंकित किया जाना है।
3. कॉलम चार में आवेदन अ.जा./अ.ज.जा आदि जिस वर्ग का हो इसके अतिरिक्त अन्य वर्गो का काट दिया जाना है। जिसमें आवेदक का वर्ग स्पष्ट हो सकें।
4. कॉलम पांच में आवेदन की तिथि आवेदक द्वारा पूर्ण कर ली गयी आयु के वर्ष तथा कॉलम छः में उसकी जन्म तिथि वर्ष/माह/दिन में अंकित की जानी है। आवेदक की आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र सलंग्न किया जाना आवश्यक है।
5. कॉलम संख्या सात में आवेदक कि शेक्षेणिक योग्यता (जो कक्षा उत्तीर्ण का हो) अंकित की जानी है।
6. कॉलम संख्या आठ में आवेदक कि वैवाहिक स्थिति में जो लागू नही हो, उसे काट दिया जाना है।
7. कॉलम संख्या ग्यारह में आवेदक वर्तमान में जिस नियोजक के पास निर्माण कार्य कर रहा है। इसके सहित पिछले 12 माह में किये गये निर्माण कार्यो के नियोजकों का विवरण अंकित किया जाना हे वर्तमान नियोजक नाम ,पता तथा दूरभाष संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे। जिससे आवश्यक होने पर पुष्ठि कि जा सकें।
8. कॉलम नं0 नो आवेदक के परिवार के विवरण अंकित किया जाना है।
9. कॉलम संख्या दस में यदि आवेदन का बैंक खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम तथा आधार नम्बर,भामाशाह कार्ड, ई.एस.आई/ई.पी.एफ.खाता संख्या और बी.पी.एल कर विवरण अंकित किया जाना है।
10. कॉलम 12 में <u>आवेदक द्वारा दिये गये विवरण कि सत्यता की धोषणा की जाने है। जिससे उसके हस्ताक्षर/अंगूठे की निशान अंकित की हो।</u>
11. <u>कॉलम 13 में आवेदक के निर्माण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र हे जिसे विवरण अंकित कर कर्मकार के नियोजक ठेकेदार द्वारा अथवा श्रम निरक्षक द्वारा (उपरोक्त चारो में से कोई एक) हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा यह प्रमाण पत्र आवेदक के पंजीयन हेतू आवश्यक है।</u>
12. उपरोक्त वर्णित प्ररूप–छः में आवेदक द्वारा नामित/नामितियों का विवरण अंकित कर पुनः हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित किया जाना है।

विशेषः– पूर्णरूप से भरे आवेदन के साथ आयु को प्रमाण पत्र तथा निर्माण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र के अतिरिक्त तीन पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो (एक आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाई जानी हे तथा दोनो फोटो सलंग्न की जानी हे।) सलंग्न किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निर्धारित पंजीयन शूल्क 25 रूपयें तथा अंशदान राशि पांच रूपयें मासिक/60 रूपयें वार्षिक भी जमा कराना होगा ।

<u>धोषणा–पत्र (अ)</u>
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा)

1. मैं (नाम) ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....उम्र ..... वर्ष निवासी ....(ग्राम पंचायत/वार्ड /पचांयत समिति/नगर पालिका) जिला ..... का रहने वाला हूं। मेरे आधार नम्बर/भामाशाह नम्बर ..... एवं मोबाईल नम्बर .... हैं।

2. यह कि, मुझ धोषणाकर्ता ने वार्ड नम्बर ..... गाम ..... ग्राम पंचातय ..... पंचायत समिति/नगर पालिका वार्ड न0 ..... तहसील ..... जिला ..... में स्वयं के मकान/अन्य निर्माण कार्य करवाया हैं। धोषणाकर्ता के पास उक्त सम्पति का मालिका हक हैं।

3. मेरे द्ववारा स्थानीय प्रशासन (पंचायत/शहरी निकाय) से अनुमति लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्माण करवाया गया हैं। मेरे दवारा कुल ..... वर्ग फुट निमाण का कार्य दिनांक .....से दिनांक ..... के मध्य कराया गया जिसके निमाण /नवीनीकरण में कुल अनुमानित रूपयें ..... की लागत आई हैं। इस पर मेरे दवारा निमार्ण सेस का भुगतान किया गया /देय नही हैं।

4. यह कि मुझ धोषणाकर्ता के मकान पर श्री/ श्रीमति .....पत्नी/ पुत्र ..... निवासी .... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक कुल..... बेलदारी/मिस्त्री ..... का कार्य किया हैं।
5. यह है कि उपरोक्त श्रमिकों को बेलदारी/मिस्त्री का कार्य मेरे अधीन करने पर रूपयें ..... प्रतिदिन के हिसाब से कार्य किया हे। एवं उक्त श्रमिक का मेरे दवारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया हैं। वर्तमान मे उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नही हैं।
6. यह कि मेरे दवारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/ निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णत सही हैं। प्रमाण –पत्र का विभागीय अधिकारीयों दवारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं अन्य प्रावधानो के अन्तर्गत मेरे विरूध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं एवं कथित प्रमाण –पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक दवारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिकसे कराने हेतू मैं बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर.....
(नियोजक/सम्पति मालिक)

अंगुठे का निशान
(नियोजक/सम्पति मालिक)

दिनांक ...../...../.....

स्थानः .....

.

प्रार्थी के हस्ताक्षर